Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 36–2018] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 04 सितम्बर, 2018

(13 भाद्र, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 52/संवि0/अनु०309/2018, दिनांक 31 अगस्त, 2018 –हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) पटवारी (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2018.	623—649
	2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 53/संवि०/अनु०309/2018, दिनांक 31 अगस्त, 2018 –हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2018.	650—653
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 अगस्त, 2018

संख्या सा०का०नि०52/संवि०/अनु०309/2018.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) पटवारी (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

भाग I–सामान्य

संक्षिप्त नाम।

1. ये नियम हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) पटवारी (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2018 कहे जा सकते है।

परिभाषाएं ।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ––

(क) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;

(ख) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) ''निदेशक'' से अभिप्राय है, भू–अभिलेख निदेशक, हरियाणा;

(घ) ''प्रमुख अभियन्ता'' से अभिप्राय है, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा), हरियाणा का प्रमुख अभियन्ता;

(ड) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(च) ''संस्था'' से अभिप्राय है, ––

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;

(छ) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है;–

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ; या

(ज) ''अधीक्षक अभियन्ता'' से अभिप्राय है, परिमण्डल के रूप में ज्ञात क्षेत्र का कार्यभारी अधिकारी;

(झ) ''सेवा'' से अभिप्राय है, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें शाखा) विभाग, हरियाणा पटवारी (ग्रुप) ग सेवा।

भाग II–सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में दर्शाए गए पद होंगे और सेवा के सदस्य अपना वेतन उनके सामने दर्शाए गये वेतनमानों के अनुसार लेंगे;

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेंगी।

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा मे किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न होः–

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ;

परन्तु प्रवर्ग (ख) अथवा (ग) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान/शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु। **5.** कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उससे पूर्व सत्रह वर्ष से कम तथा बयालीस वर्ष की आयु से अधिक हो।

नियुक्ति प्राधिकारी। **6.** सेवा में पदों पर नियुक्तियां, अधीक्षक अभियन्ता द्वारा की जायेंगी।

अर्हताएं । **7.** कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताए तथा अनुभव न रखता हो।

अनर्हताएं । **8.** कोई भी व्यक्ति ;–

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है अथवा विवाह करने की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, अथवा विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग । **9.** (1) पटवारी की दशा में, सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी ; ––

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पटवारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नही करेगी।

नियुक्ति, प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा के लिए प्रक्रिया। **10.** (1) जब कभी, आयोग द्वारा प्रमुख अभियन्ता से मांग प्राप्त होती है तो वह निदेशक को पटवारी उम्मीदवारों की ऐसी संख्या की सिफारिश करेगा जो मांग पत्र में विनिर्दिष्ट की गई है। सीधी भर्ती के लिए आयोग से पटवारी उम्मीदवारों की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात् उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनन्तिम नियुक्ति दी जाएगी तथा उसके बाद इन नियमों में यथा विहित अनिवार्य पटवार प्रशिक्षण पर जाएंगें।

(2) अनन्तिम रूप से नियुक्त किए गए पटवारियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथा निर्धारित वजीफा दिया जाएगा ।

(3) अनन्तिम रूप से नियुक्त पटवारी न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनिवार्य पटवार प्रशिक्षण तथा छह मास का क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे । प्रशिक्षण दो सत्र का होगा । प्रत्येक सत्र के अन्त में, उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित होंगे । प्रत्येक सत्र के पाठयक्रम तथा पाठ्य विवरण के ब्यौरे निदेशक सरकार के परामर्श से परिशिष्ट ड. तथा च के अनुसार निर्णीत किए जाएंगे ।

(4) नियमित नियुक्ति केवल सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करने तथा विभागीय परीक्षा पास करने के बाद दी जाएगी। तथापि, यदि कोई अनन्तिम रूप से नियुक्त पटवारी स्थल पैमाइश और अभिलेख के सिवाय एक या अधिक विषयों को पास करने में असफल रहता है, तो बाद में उसे उस विषय या उन विषयों में, जैसी भी स्थिति हो, पुनः परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु स्थल पैमाइश और अभिलेख में अनुतीर्ण उम्मीदवार उस अवधि के लिए दोबारा पटवार स्कूल में उपस्थित हो सकेंगे जिसके दौरान प्रशिक्षणार्थी इन विशयों का प्रशिक्षण ले रहे हों, तथा इसमें पुनः परीक्षा के लिए बैठने के लिए अपेक्षित होंगे।

(5) अनन्तिम रूप से नियुक्त पटवारी को तब तक नियमित नियुक्ति नहीं दी जाएगी जब तक वह विभागीय परीक्षा के सभी पेपर पास नहीं कर लेता है।

क्रम जिसमें पटवार पास उम्मीदवारों में से अनुशंसा की जाएगी।

11. पटवार पास उम्मीदवारों में से अनुशंसा उस क्रम में की जाएगी जिस क्रम में, निदेशक द्वारा बनाई गई वरिष्ठता सूची में उनके नाम प्रकट होते हैं।

पटवार पास उम्मीदवारों के नामों को सूची से निकालना।

12. निदेशक, किसी भी समय, किसी ऐसे कारण से जिसे वह ठीक समझे, किसी भी व्यक्ति के नाम को पटवार पास उम्मीदवारों की सूची से निकालने के आदेश दे सकता है ;

परन्तु इस नियम के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उम्मीदवारों को, जिसका नाम सूची से निकाला जाना है, सुनवाई का अवसर न दिया जाए और अभ्यावेदन जो वह देना चाहता है तथा ऐसे अभ्यावेदन पर जब तक विचार नहीं कर लिया जाता।

नियुक्ति ग्रहण करने में असफल रहने के परिणाम।

13. यदि कोई उम्मीदवार सेवा में किसी पद पर नियुक्त हो जाने पर किसी कारणवश, चाहे वह कोई भी हो, नियुक्ति के आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक मास की अवधि के अन्दर या ऐसी अवधि के अन्दर जो अधीक्षक अभियंता द्वारा बढ़ाई जा सकती हो, अपना पद ग्रहण नहीं करता है, तो अधीक्षक अभियंता नियुक्ति आदेश रद्द कर सकता है और पटवार पास उम्मीदवारों की सूची से उसका नाम निकालने के लिए निदेशक को सिफारिश कर सकता है।

बंध–पत्र प्रस्तुत करना।

14. किसी भी व्यक्ति को तब तक सेवा में नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक वह कम से कम पांच साल तक हरियाणा सरकार की सेवा करने के लिए बन्ध–पत्र प्रस्तुत नहीं करता है। अपेक्षित पांच साल से पहले सेवा से पदत्याग करने की दशा में वह ऐसा करने से पूर्व हरियाणा सरकार को दो लाख रुपये या कोई राशि जो निदेशक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, भुगतान करेगा।

परिवीक्षा।

15. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु ––

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई भी अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह, ––

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवा से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,––

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, ––

(क) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में, संतोषजनक रहा हो तो,––

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में, संतोषजनक न रहा हो तो,––

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था ;

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

16. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग–अलग निश्चित की जायेगी :–

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नानुसार निश्चित की जायेगी :

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेंगी, जिनसे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व ।

17. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,––

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास न हो, अथवा गैर–सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना, खण्ड (ii) अथवा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुट्टी पैंशन तथा अन्य मामले।

18. (1) वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए अथवा बनाएं गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएंः

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 सेवा के उन सदस्यों को लागू नहीं होंगे जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त किए गए हैं ।

(2) जो सेवा या पद से सेवानिवृत होता है, तो वह अधिवर्षिता पेंशन (किन्तु पेंशन के लिए किसी अन्य श्रेणी के लिए नहीं) के लिए अहर्क सेवा में परिवर्धन करने के लिए पात्र होगाः–

(i) उनकी सेवा की अवधि से एक चौथाई से अनधिक वास्तविक अवधि; या

(ii) वास्तिविक अवधि, जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती है; या

(iii) पांच वर्ष की अवधि; इनमें से जो भी कम हो, यदि वह सेवा पद, जिसमें सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से कोई एक

(क) जिसके लिए वह प्रौद्योगिकी या व्यवसायिक क्षेत्र में विशिष्ट वैज्ञानिक स्नातकोत्तर अनुसंधान या अर्हता या अनुभव अनिवार्य है; और

(ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार भर्ती किए गए हैः

परन्तु यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी, जिनकीः–

(i) नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न की पदोन्नति द्वारा;

(ii) वास्तिविक अहर्क सेवा अधिवर्षिता सेवा–निवृति के समय दस वर्ष या अधिक है;

परंतु उप–नियम (2) के उक्त उपबन्ध सेवा के उन सदस्यों पर लागू नहीं होंगे जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त हुए हैं ।

(3) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति भी लागू होगी; बशर्ते सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अहर्क सेवा को अधिवर्षिता पेंशन के लिए हिसाब में लेने के लिए हकदार होगा या उप–नियम (2) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा । वह इस आशय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा । एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अन्तिम होगा ।

टिप्पणः– इस नियम के अधीन छूट प्रदान करने का निर्णय प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से भर्ती की तिथि से दो वर्ष के भीतर लिया जायेगा।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

19. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे ;

परन्तु ऐसी शस्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शस्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगें जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वहीं होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'घ' में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना।

20. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवाएगा या जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

21. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की उपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति।

22. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

आरक्षण।

23. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

विशेष उपबन्ध।

24. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना समीचीन समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

25. (1) हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) पटवारी तथा रीडर (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं ;

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट नियमों के निरसन के होते हुए भी, जहां इन नियमों में से कोई नियम सेवा के किसी सदस्य के अहित को परिवर्तित करता है, वहां हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) पटवारी तथा रीडर (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 के अधीन यथा लागू सेवा की शर्तें, उस सीमा तक, उसे निरन्तर लागू रहेंगी।

परिशिष्ट–क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	कुल	
1	2	3	4	5	6
	पटवारी	14	–	14	प्रवेश स्तर–5, सेल–1 रु 29200/–

परिशिष्ट–ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
			स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
	पटवारी	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा ; (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत/उर्दू का ज्ञान; (iii) पटवार स्कूल में कम से कम एक वर्ष की अवधि के पश्चात् इन नियमों के परिशिष्ट ङ में यथा–विहित तथा परिशिष्ट च में दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर पटवार परीक्षा पास की हो तथा परीक्षा पास करने के पश्चात् छह मास का ऐसा व्यावहारिक क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा पास की हो; (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत/उर्दू का ज्ञान; (iii) पटवार स्कूल में कम से कम एक वर्ष की अवधि के पश्चात् इन नियमों के परिशिष्ट ङ में यथा–विहित तथा परिशिष्ट च में दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर पटवार परीक्षा पास की हो तथा परीक्षा पास करने के पश्चात् छह मास का ऐसा व्यावहारिक क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परिशिष्ट–ग

[देखिए नियम 19 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
	पटवारी	अधीक्षक अभियन्ता	**(i) छोटी शास्तियां–** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट; **(ii) बड़ी शास्तियां–** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट;	अधीक्षक अभियन्ता	प्रमुख अभियन्ता	सरकार

परिशिष्ट–घ

[देखिए नियम 19 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
	पटवारी	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनूज्ञेय अतिरक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; और (ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	अधीक्षक अभियन्ता	प्रमुख अभियन्ता	सरकार

परिशिष्ट ङ

[देखिए नियम 10 (3)]

पटवार परीक्षा

प्रश्न पत्र	विषय	अंक	समय
1	गणित तथा पटवारी पैमाइश	100	3 घण्टे
2	भू–अभिलेख नियम पुस्तिका तथा चकबन्दी	100	3 घण्टे
3	भूमि से संबंधित अधिनियम तथा नियम (पुस्तकों की सहायता सहित)	100	3 घण्टे
4	विभिन्न अधिनियमों तथा नियमों का ज्ञान (पुस्तकों की सहायता सहित)	100	3 घण्टे
5	उर्दू में सुलेख संयोजन और शुद्धिकरण	50	2 घण्टे
6	स्थल पैमाइश तथा अभिलेख	100	3 घण्टे
7	भू–अभिलेख में कम्प्यूटर को बढ़ावा देना और लागू करना	100	3 घण्टे

प्रश्न पत्र संख्या 2 में दो भाग होंगे, भाग क–भू–अभिलेख नियम पुस्तिका 70 अंक की होगी तथा भाग–ख में चकबंदी 30 अंक का होगा।

टिप्पण :

(i) प्रत्येक भाग में पास होना अनिवार्य है।

(ii) भाग क में 10 प्रश्न होंगे जिन में से 7 प्रश्न करने होंगे।

(iii) भाग ख में पांच प्रश्न होंगे जिनमें से तीन प्रश्न करने होंगे।

पास होने के लिए उम्मीदवार को प्रश्न पत्र संख्या 1, 2 और 5 में 50 प्रतिशत या अधिक अंक तथा प्रश्न पत्र संख्या 3, 4, 6 और 7 में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने होंगे।

उम्मीदवार विषय संख्या 6 के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान उन द्वारा किए गए कार्य को प्रस्तुत करेंगे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वे विषय सामग्री समझते हैं, परीक्षा ली जाएगी। अंक लेख सुन्दरता और उत्तरों में प्रदर्शित उत्कृष्ठता के आधार पर दिए जाएंगे।

उम्मीदवार स्वयं द्वारा प्रतिलिपि किए गए उन नक्शों को प्रस्तुत करेगा जो संस्थान के अध्यापक तथा मुख्याध्यापक दोनों द्वारा प्रमाणित होंगे, कि यह विद्यार्थी द्वारा किया गया कार्य है। फिर परीक्षकों द्वारा सर्वेक्षण दस्ता (सर्वे स्क्वाड) हटा दिए जाएंगे और उनकी उपस्थिति में नए विषय पर कार्य करने की अपेक्षा की जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार को अंक नक्शे की प्रतिलिपि तथा मूल नक्शा और परीक्षक की उपस्थिति में उसके दस्ते (स्क्वाड) के कार्य अनुसार गुणवत्ता के आधार पर दिए जाएंगे।

परिशिष्ट च

[देखिए नियम 10 (3)]

पटवार विद्यालय का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र संख्या	विषय	
I	गणित पटवारी पैमाइश	**अनुभाग क** हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक स्तर तक गणित **अनुभाग ख** 1. पटवारी पैमाइश 2. पटवारी पैमाइश नियम पुस्तिका 3. भू–अभिलेख नियम पुस्तिका का अध्याय–4 **आज तक अद्यतन**
II	भू–अभिलेख नियम पुस्तिका तथा चकबंदी	1. हरियाणा भू–अभिलेख नियम पुस्तिका (i) भू–अभिलेख नियम पुस्तिका का अध्याय–3 (ii) भू–अभिलेख नियम पुस्तिका का अध्याय–7 (iii) अध्याय–9 फसल कटाई निरीक्षण। (iv) अध्याय–10 कृषि संबंधी आंकड़े। (v) अध्याय–18 विभाजन मामला प्रक्रिया पैरा 18.5 (पहली पांच पंक्तिया) 18.12 (अंतिम 16 पंक्तियां) तथा 18.19 (प्रथम 4 पंक्तियां) 2. वितायुक्त, पंजाब का स्थायी आदेश संख्या 7– भू–राजस्व तथा पेंशन समनुदेशन। पैरा 82 (i) तथा (ii) तथा प्रथम उप पैरा से पैरा 89 (vii) तक। 3. पंजाब बन्दोबस्त नियम पुस्तिका । पैरा 142 तथा अध्याय xiii तथा परिशिष्ट vii (पैरा 1 से 21, 25 तथा 27)। 4. निम्नलिखित पर टिप्पणः– (i) टिड्डीदल नियंत्रण। (ii) फसल कटाई संबंधी प्रयोग और फसल अनुमान। (iii) कृषि संबंधी गणना। (iv) सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य विषय। 5. पूर्वी पंजाब जोत (समेकन तथा खण्डकरण– निवारण) अधिनियम, 1948 तथा सम्बन्धित नियम। चक्बन्दी अमले के मार्ग दर्शन हेतु अनुदेश (मुद्रित पुस्तिका) **आज तक अद्यतन**

III	भूमि से संबंधित अधिनियम तथा नियम (पुस्तकों की सहायता सहित)	(i) पंजाब भू–राजस्व अधिनियम, 1887 धारा 3, 31 से 35, 44 तथा 149 से 151. (ii) पंजाब भू–राजस्व नियम, 1909 नियम 14 से 21. (iii) वित्तायुक्त, हरियाणा का स्थायी आदेश संख्या 4. (iv) भू–राजस्व के स्थगन (स्थामित) और परिहार के संबंध में वित्तायुक्त, पंजाब का स्थायी आदेश संख्या 30. (v) पंजाब का काश्तकारी अधिनियम, 1887 धारा 4 से 10, 12, 35, 37 तथा 49. (vi) पंजाब भू–राजस्व (थूर, सेम, चौ तथा रेत) परिहार तथा स्थगन नियम, 1960 नियम 2.12, 17 तथा 18. (vii) पंजाब भूमि पट्टा सुरक्षा अधिनियम, 1953 नियम 2, 6, 8, 9, 12, 18, 19, 19–ख, 20 22. (viii) पंजाब भूमि पट्टा सुरक्षा नियम, 1953 नियम 2 तथा 6. (ix) पंजाब भूमि पट्टा सुरक्षा नियम, 1956 नियम 5 तथा 6. (x) कछारी भूमि, बाढ़ ग्रस्त भूमि तथा भिन्न–भिन्न निर्धारण के लिए स्थानीय नियम। (xi) पंजाब दखलकारी काश्तकार (सम्पत्ति का अधिकार निहित होना) अधिनियम 1952. **आज तक अद्यतन**
IV	विभिन्न नियम तथा अधिनियम का कार्य अनुभव (पुस्तकों की सहायता सहित)	(i) पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961– धारा 2 से 5. (ii) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 धारा 8 से 16, 18 से 26 तथा 29. (iii) हरियाणा भूमिजोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 तथा नियम। (iv) अतिरिक्त क्षेत्र उपयोगिता स्कीम, 1976. (v) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30). (vi) वित्तायुक्त, पंजाब का स्थायी आदेश संख्या 28 –पैरा 33 से 47. (vii) हरियाणा विधान सभा की मतदाता सूचियां तैयार करना तथा मतदाता सूचियां तैयार करने तथा पुनरीक्षण करने के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेश। (viii) अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 220). **आज तक अद्यतन**
V	उर्दू में श्रुतलेखन संयोजन और शुद्धीकरण	कोई पुस्तक विहित नहीं की गई है। शुद्धिकरण पर बल देने सहित उर्दू के लिए मिडिल स्तर की परीक्षा होगी। **आज तक अद्यतन**
VI	स्थल पैमाइश तथा अभिलेख	**विविध** (i) तहसील कार्यालय के विभिन्न अनुभागों तथा विशेष रूप से कार्यालय कानूनगों तथा वासिल वाकी नवीस का कार्य दर्शाने के लिए विद्यालय से तहसील कार्यालयों का दौरा।

		(ii) कृषि विभाग तथा विशिष्ट गांवों के खेतों का दौरा। **आज तक अद्यतन** **व्यावहारिक** 1. परिशिष्ट (xxi) में बन्दोबस्त नियम पुस्तिका तथा अध्याय 4 के भाग घ में परिभाषित अनुसार वर्ग प्रणाली या पर्वतीय मार्गों में त्रिभुजीकरण द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा नक्शा ठीक करना। 2. सर्वेक्षण से संबंधित विभिन्न पैमाइश कागज तैयार करना। 3. बन्दोबस्त तथा वार्षिक अभिलेखों की नकल। विभाजन, नामान्तरण, बाढ़ तथा भिन्न–भिन्न निर्धारण संबंधी कागजात भी। 4. नक्शों की नकल करना। **आज तक अद्यतन**
VII	कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं भू–अभिलेख का कम्प्यूटराइजेशन	भूमि–अभिलेख में कम्प्यूटर को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और आवश्यकताओं के अनुसार समय–समय पर सरकार से विचार–विमर्श सहित निदेशक भू–अभिलेख द्वारा निर्धारित किया जाएगा। **आज तक अद्यतन**

आलोक निगम,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

PUBLIC WORKS (BUILDINGS AND ROADS) DEPARTMENT

Notification

The 31st August, 2018

No. G.S.R.–52/Const./Art. 309/2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Public Works (Buildings and Roads) Department Patwaris (Group C) Service, namely: -

PART-I GENERAL

Short Title

1. (1) These rules may be called the Haryana Public Works (Buildings and Roads) Department Patwaris (Group C) Service Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force on the date of the publication in the Official Gazette.

Definition

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "Commission" means the Haryana Staff Selection Commission;

(b) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within Service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;

(c) "Director" means the Director, Land Records, Haryana;

(d) "Engineer-in-Chief" means the Engineer-in-Chief, Public Works (Buildings and Roads) Department, Haryana;

(e) "Government" means the Government of Haryana in the Administrative Department;

(f) "institution" means :–

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;

(g) "Recognized University" means :–

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules;

(h) "Superintending Engineer" means, an officer in- charge of an area known as Circle ;

(i) "Service" means the Haryana Public Works (Buildings and Roads) Department Patwaris (Group C) Service.

Part-II Recruitment to Service

Number and character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these rules and members of the Service shall draw pay in the pay scale of pay shown there against;

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily;

Nationality,domicile and character of candidates appointed to Service:

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is ;–

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ;

Provided that a person belonging the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal, academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in this private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than forty two years of age, on or before the 1st day of January next preceding the last date of submission of application to the Commission.

Appointing Authority.

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Superintending Engineer.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to the Service, unless he is in possession of qualification and experience as specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of recruitment other than by direct recruitment:

Disqualifications.

8. No person.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service ;

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service in the case of Patwari shall be made: -

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Patwaris training and examination.

10. (1) As and when a requisition is received by the Commission from the Engineer-in-Chief, it shall recommend to the Director, such number of Patwari candidates as specified in the requisition. After receiving the recommendation of Patwari candidates from Commission for direct recruitment, they shall be given provisional appointment by the competent authority and thereafter shall undergo compulsory patwar training as specified in these rules.

(2) The provisionally appointed Patwaris during the training period shall be given such stipend, as may be determined by the Government, from time to time.

(3) The provisionally appointed Patwaris shall undergo compulsory Patwar training for minimum period of one year and six months of field training. The training shall consist of two semesters. At the end of each semester, the candidates shall appear in examination. The details of courses and syllabus for each semester shall be decided by the Director in consultation with the Government as per Appendixes 'E' and 'F'.

(4) The regular appointment shall be offered only after the successful completion of training and passing of the departmental examination. However, if a provisionally appointed Patwari fails to pass in one subject or more except Spot Measurement and Records, he may subsequently be allowed to sit for re-examination in that subject or in those subjects, as the case may be:

Provided that the candidates failing in Spot Measurement and Records shall have to attend the Patwar school again for the term during which the trainees are taught these subjects, and shall be required to sit for re-examination therein.

(5) A provisionally appointed Patwari shall not be offered regular appointment till he passes all the papers in the departmental examination.

Order in which recommendations are to be made from amongst Patwar Pass candidates.

11. Recommendations from amongst Patwar pass candidates shall be made in the order in which their names appear in the merit list maintained by the Director.

Removal of name of Patwar pass candidates from list.

12. The Director may, at any time, order the removal of the name of any person from the list of Patwar pass candidates for any reason which he may deem fit.

Provided that no order under this rule shall be passed without giving the candidate, whose name is sought to be removed an opportunity of being heard and making a representation which he may desire to make and unless such representation has been taken into consideration.

Consequences of failure to join appointment.

13. If the candidates on being appointed to a post in the Service, fails on account of any reason whatsoever to join his post within a period of one month or within such period, as may be extended by the Superintending Engineer from the date of receipt of the orders of appointing, the Superintending Engineer may cancel the order of appointment and recommend to the Director for removal of his name from the list of Patwar pass candidates.

Furnishing of Bond.

14. No person shall be appointed to a post in the Service unless he submits a bond to serve the Haryana Government for a minimum period of five years. In case of resigning the Service before the requisite period of five years he shall have to pay an amount of two lac rupees or any amount as specified by the Director, from time to time before doing so.

Probation.

15. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Provided that –

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to the appointment to the Service, may, in the case of an appointment by transfer, or at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation including extension, if any, is not satisfactory, it may-

(a) if such person is appointed by direct recruitment dispense with his services ; and

(b) if such person is appointed other than by direct recruitment-

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may-

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory-

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactory, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory, -

(i) dispense with his Services, if appointed by direct recruitment and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority

16. Seniority, inter-se of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :-

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

17. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under -

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve under the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

18. (1) In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature;

Provided that the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 shall not be applicable to those members of Service who are appointed on or after the 1st January, 2006.

(2) A person who retires from Service or post shall be eligible to add his Service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension)-

(i) the actual period not exceeding one-fourth of the length of his service; or

(ii) the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds twenty five years; or

(iii) a period of five years;

Whichever is less, if the service or post to which the Government employee is appointed is one-

(a) for which post-graduate research or specialist qualification, or experience in scientific, technological or professional fields is essential; and

(b) to which candidates of more than twenty five years of age are normally recruited;

Provided that this concession shall be admissible to a Government employees-

(i) appointed by direct recruitment and not by promotion;

(ii) who has actual qualifying service of ten years or more at the time superannuation retirement;

Provided that the provision of above said sub-rule (2) shall not be applicable to those members of service who are appointed or after 1st January, 2006.

(3) The concession referred to sub-rule (2) shall also be admissible on subsequent appointment from any other post to such a post in the same or any other department:

Provided that Government employee shall be entitled either to count his past qualifying service for superannuation pension or to get concession under sub-rule (2). He shall exercise an option to his effect within one year from the date of joining. The option once exercised shall be final.

Note.— The decision to grant the concession under the rule shall be taken within two years from the date of recruitment by the Administrative Department in consultation with the Finance Department.

Discipline, penalties and appeals.

19. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix 'C' to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, and appellate authority shall be such as specified in Appendix 'D' to these rules.

Vaccination.

20. Every member of Service, shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

21. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

22. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Reservations.

23. Nothing contained in these rules, shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, other backward Classes, Ex-servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time under clause (4) of article 16 of the Constitution of India:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

Special provisions.

24. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Repeal and savings.

25. (1) The Haryana Public Works Department (Buildings and Roads Branch) Patwaries and Readers (Group C) Service Rules, 1998 are hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the rules so repeated shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Notwithstanding the repeal of the rules referred to in sub-rule (1) where any of these rules varies to the disadvantage of any member of the Service, to that extent, the conditions of Service as applicable under the Haryana Public Works Department (Building and Roads Branch) Patwaries and Readers (Group-C) Service Rules, 1998 shall continue to apply to him.

APPENDIX - A

(See rule 3)

Serial Number	Designation of posts	Number of posts		Total	Scale of pay
		Permanent	Temporary		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Patwari	14	--	14	Pay Matrix Level-5, Cell-1. Entry level of Rs. 29200/-

APPENDIX-B

(See rule 7)

Serial Number	**Designation of posts**	**Academic Qualification and experience, if any, for direct recruitment**	**Academic Qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1.	Patwari	(i) Graduate or its equivalent examination of a Recognized University; (ii) Knowledge of Hindi / Sanskrit / Urdu upto Matric Standard or higher education; (iii) Qualify the Patwar examination as prescribed in Appendix-E on the basis of syllabus given in Appendix-F to these rules after attending the Patwar school for minimum period of one year and after passing the examination undergoes such practical field training for a period of six months as may be specified by the Director.	(i) Graduate or its equivalent examination of a recognized University; (ii) Knowledge of Hindi/ Sanskrit / Urdu upto Matric Standard or higher education; (iii) qualify the Patwar examination as prescribed in Appendix-E on the basis of syllabus given in Appendix-F to these rules after attending the Patwar school for minimum period of one year and after passing the examination undergoes such practical field training for a period of six months as may be specified by the Director.

APPENDIX -C

[See rule 19 (1)]

Serial Number	**Designation of Posts**	**Appointing authority**	**Nature of penalty**	**Authority empowered to impose penalty**	**Appellate authority**	**Second and final appellate authority**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
1.	Patwari	Superintending Engineer	As specified in Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016	Superintending Engineer	Engineer - in-Chief	Government
			As specified in Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016			

APPENDIX - D

[See rule 19 (2)]

Serial Number	**Designation of posts**	**Nature of order**	**Authority empowered to make the order**	**Appellate authority**	**Second and final appellate authority, if any**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
1.	Patwari	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary / additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) Terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Superintending Engineer	Engineer-in-Chief	Government

APPENDIX - E

[See rule 10 (3)]

EXAMINATION OF PATWARIS

Paper	**Subject**	**Marks**	**Time**	
1.	Mathematics and Patwaris Mensuration.	100	3 hours	
2.	Land Records Manual and Consolidation of Holdings.	100	3 hours	
3.	Acts and Rules pertaining to Land (with the aid of books)	100	3 hours	
4.	Knowledge of various Acts and Rules (with the aid of books)	100	3 hours	
5.	Dictation, composition and calligraphy in Urdu.	50	2 hours	
6.	Spot Measurement and Records.	100	3 hours	
7.	Computer Appreciations and Application to Land Records.	100	3 hours	

There will be two section in Paper No.2, Section A Land Records Manual will be of 70 marks and Section B – Consolidation of Holdings will be of 30 marks.

Note.—

(i) Pass in each section is must.

(ii) Section 'A' shall contain ten questions, out of which seven are to be attempted.

(iii) Section 'B' shall contain five questions, out of which three are to be attempted.

To pass, a candidate must obtain 50% or more marks in respect of Paper No. 1, 2 and 5 and 60% or more marks in respect of Paper No.3, 4, 6 and 7.

Under subject No.6 the candidates shall produce the work done by them during the training and shall be examined on contents of the papers in order to ascertain whether they understand them. Marks will be given with reference to the excellence of the writing and to the intelligence shown by the replies.

A candidate shall produce a map copied by himself both being certified by the teacher and Headmaster of the Institution to be the pupil's work. Survey squads shall then be taken out by the examiners and be required to work on new ground in their presence. Marks will be awarded according to the merits of each candidates map copy and original map and according to the working of his squad in the examiner's presence.

APPENDIX - F

[See Rule 10 (3)]

SYLLABUS OF THE PATWAR SCHOOL

Paper No.	**Subject**	
I.	Mathematics	**Section A** Mathematics upto Matriculate Standard of Haryana Board of School Education. **Section B** 1. Patwaris Mensuration. 2. Patwaris Mensuration Manual. 3. Chapter No.4 of Land Records Manual. As updated till date.
II.	Land Records Manual and Consolidation of Holdings.	**1. Haryana Land Records Manual** (i) Chapter No.3 of Land Records Manual. (ii) Chapter No.7 of Land Records Manual. (iii) Chapter No.9 of Harvest Inspection. (iv) Chapter No.10 of Agricultural Statistics. (v) Chapter No.18 of Procedure in partition cases. Paragraphs 18.5 (first five lines), 18.12 (last 16 lines) and 18.19 (first four lines). **2. Standing Order No. 7** of the Financial Commissioner, Punjab – Assignment of Land Revenue and Pensions. Paragraph 82 (I) and (II) and first sub-paragraph to paragraph 89 (VII). **3. Punjab Settlement Manual.** Paragraph 142 and Chapter XIII and Appendix VII (Paragraph 1 to 21, 25 and 27). **4. Note on: -** (i) Locust control. (ii) Crop Cutting experiments and crop estimation. (iii) Agricultural census. (iv) Any other topic as may be prescribed by the Government. **5. Law, Theory and Practice** on the The East Punjab Holdings (Consolidated and Preventions of Fragmentations) Act, 1948 and Rules thereof. (Instructions for the guidance of Consolidation Staff Printed booklet). As updated till date.
III.	Acts and Rules pertaining to Land (with the aid of books)	(i) The Punjab Land Revenue Act, 1887. Section 3, 31 to 35, 44 and 149 to 151. (ii) The Punjab Land Revenue Rules, 1909 rules 14 to 21. (iii) Standing Order No.4 of the Financial Commissioner, Haryana. (iv) Standing Order No.30 of the Financial Commissioner, Punjab regarding suspension and remission of land revenue. (v) The Punjab Tenancy Act, 1887, section 4 to 10, 12, 35, 37 and 49. (vi) The Punjab Land Revenue (Thur, Sem, Chos and Sand) Remission and Suspension Rules, 1960, rules 2, 12, 17 and 18. (vii) The Punjab Security of Land Tenures Act, 1953. Section 2, 6, 8, 9, 12, 18, 19, 19-B, 20 and 22. (viii) The Punjab Security of Land Tenures Act, 1953. rules 2 and 6.

		(ix) The Punjab Security of Land Tenures Act, 1956. rules 5 and 6. (x) Local rules for alluvium, diluvium and fluctuating assessment. (xi) The Punjab Occupancy Tenants (Vesting of Proprietary Rights) Act, 1952. As updated till date.
IV.	Working knowledge of various Acts and Rules (with the aid of books)	(i) The Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961: section 2 to 5. (ii) Hindu Succession Act, 1956 section 8 to 16, 18 to 26 and 29. (iii) The Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972 and Rules. (iv) Utilization of Surplus Area Scheme, 1976. (v) The Land Acquisition Act, 1894. (vi) Standing Order No.28 of the Financial Commissioner, Punjab – Paras 33 to 47. (vii) Preparation of Electoral rolls of Haryana Vidhan Sabha and Instructions issued by the Government from time to time regarding preparation and revision of rolls. (viii) Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989) and Protection of Civil Right Act, 1955 (220 of 1955). As updated till date.
V.	Dictation, composition and calligraphy in Urdu.	No book has been prescribed. The standard of examination will be that of Middle for Urdu with stress on calligraphy. As updated till date.
VI.	Spot Measurement and Records.	Miscellaneous: (i) Visit to tehsil office from the school to show the working of different sections of the tehsil office and particularly of the office Kanungo and Wasil Baqi Nawis. (ii) Visits to farms of Agriculture Department and typical villages. As updated till date.
		PRACTICE: 1. Field Survey on the square system or in hilly tracts by triangulation and map correction as defined in Appendix XXI to the settlement Manual and Part D of Chapter 4. 2. Preparation of the various measurement papers connected with Survey. 3. Copying of Settlement and annual records. Also partition, mutation, diluvium and fluctuating assessment papers. 4. Copying of maps. As updated till date.
VII.	Computer Appreciations and Application to Land Records.	Syllabus for Computer Appreciation and Application to Land Record will be prescribed by the Director, Land Records, Haryana in consultation with the Government from time to time in view of the latest technology and necessity. As updated till date.

ALOK NIGAM,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Public Works (Buildings and Roads) Department.

56512—C.S.—H.G.P., Chd.